

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जून 2013—आषाढ़ 8, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2013

क्र. एफ.3-(6)-2013-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा लोकायुक्त की अनुशंसा पर, उज्जैन संभाग की सतर्कता समिति में, श्री कैलाश चंद्र शर्मा को अध्यक्ष, श्री ओ. पी. सागोरिया को सदस्य के पद पर 3 वर्ष तथा श्री सुरेश चन्द्र जोशी को सदस्य के पद पर दिनांक 23 अगस्त 2014 तक की अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करती है.

No.F.3 (6)-2013-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government hereby, on the recommendation of the Lokayukta, appoints in the divisional vigilance committee Ujjain division, Shri Kailash Chandra Sharma as Chairman, Shri O.P. Sagoriya as Member for the period of 3 years & Shri Suresh Chandra Joshi as Member till the date of 23rd August 2014, with effect from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमर सिंह चंदेल, उपसचिव.